श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 340.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम, 1976 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय समूह "ग" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	23* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, (5200—20200 रु.) धन 2400 रु. ग्रेड वेतन	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा;	**प्रोन्नति :** उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिक । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाए उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है । **प्रतिनियुक्ति :** (क) ऐसे अधिकारी जिन्होंने उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ख) ऐसे अधिकारी जिन्होंने केन्द्रीय या राज्य सरकारों और केन्द्रीय या राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ग) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अवर श्रेणी लिपिक । (घ) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अवर श्रेणी लिपिक । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाए उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य

(11)
ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति :– (i) संबंधित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी —अध्यक्ष (ii) उस विभाग का एक अधिकारी जो उससे संबंधित न हो जिसमें प्रोन्नति विचाराधीन है —सदस्य (iii) उस विभाग का एक अधिकारी जो उन व्यक्तियों के कार्य से परिचित हो जिनकी योग्यता निर्धारित की जानी है —सदस्य (iv) श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	39* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अनुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. धन 1900 रु. ग्रेड वेतन	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित की जाए ।

(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता, (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35* श.प्र.मि. की टंकण गति या हिन्दी में 30* श.प्र.मि. की टंकण गति । *(35 श.प्र.मि. और 30 श.प्र.मि. के तत्समान प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-डिप्रेशन की औसत पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच)	हां, स्तंभ 10 में उपदर्शित सीमा तक	दो वर्ष

(10)	(11)
(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85% सीधी भर्ती (ii) 10% रिक्तियां विभागीय अर्हता परीक्षा द्वारा, ऐसे 1800 रु. ग्रेड वेतन के समूह 'ग' कर्मचारिवृंद जो 12वीं उत्तीर्ण या समतुल्य रखते हों और उस श्रेणी में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो, भरी जाएगी । **टिप्पण** : यदि परीक्षा में खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी अर्हित हो जाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की ऐसी अधिक्य संख्या के बाद वाले वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार की जाएगी ताकि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हिता कर्मचारियों का विचार उनसे पहले किया जाए जो बाद की परीक्षा में अर्हित होते हैं । (iii) 5% रिक्तियां समूह 'ग' कर्मचारियों, जिन्होंने 1800 रु. ग्रेड वेतन के साथ पद नियमित रूप से तीन वर्ष की सेवा की है, से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी ।	स्तंभ 10 में यथाकथित

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति :– (i) संबंधित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी —अध्यक्ष (ii) उस विभाग का एक अधिकारी जो उससे संबंधित न हो जिसमें प्रोन्नति विचाराधीन है —सदस्य (iii) उस विभाग का एक अधिकारी जो उन व्यक्तियों के कार्य से परिचित हो जिनकी योग्यता निर्धारित की जानी है —सदस्य (iv) श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द	77* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) धन 1800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित की जाए ।

(7)	(8)	(9)
मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

4399 GI/11—4

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति :-		लागू नहीं होता ।
(i) संबंधित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी	—अध्यक्ष	
(ii) उस विभाग का एक अधिकारी जो उससे संबंधित न हो जिसमें प्रोन्नति विचाराधीन है	—सदस्य	
(iii) उस विभाग का एक अधिकारी जो उन व्यक्तियों के कार्य से परिचित हो जिनकी योग्यता निर्धारित की जानी है	—सदस्य	
(iv) श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित एक अधिकारी	—सदस्य	

[फा. सं. ए-12011/01/2007-सीएलएस-II]

अजय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 9th December, 2011

G.S.R. 340.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court Group 'C' and 'D' posts Recruitment Rules, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts set up in different States under the Central Sphere, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to all posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto, in the offices of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts set up in the Central Sphere.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith shall be specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upper Division Clerk	23* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Ministerial, Non-Gazetted	PB-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
100% By promotion failing which by deputation.	**Promotion :** Lower Division Clerk with eight years regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendations of the Commission. **Deputation :** (a) Officers holding analogous post on regular basis in High Courts or from the subordinate courts; or

(11)
(b) Officers holding analogous posts in the Central or State Governments and Central or State Public Sector Undertakings; or (c) persons holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (d) Lower Division Clerks with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or Department. **Note 1** :—The period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/ department shall ordinarily not exceed three years. **Note 2** :—The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 3** :—For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee :— (i) Presiding Officer of the concerned Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court —Chairman (ii) An Officer from a Department not connected with the one in which promotion are considered —Member (iii) An Officer of the Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed —Member (iv) An Officer nominated by the Ministry of Labour and Employment —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Lower Division Clerk	39* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Ministerial, Non-Gazetted	PB-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

(6)
Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)
(i) 12th Class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University; (ii) A typing speed of 35* w.p.m. in English or 30* w.p.m. in Hindi on computer. *(35 w.p.m. and 30 w.p.m. corresponding to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).	Yes, to the extent indicated in Column 10.	Two years

(10)	(11)
(i) 85 per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10 per cent of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes). **Note :** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination; (iii) 5 per cent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C employees who have completed three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800.	As stated in Column 10.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee :— (i) Presiding Officer of the concerned Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court —Chairman (ii) An Officer from a Department not connected with the one in which promotion are considered —Member (iii) An Officer of the Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed —Member (iv) An Officer nominated by the Ministry of Labour and Employment —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Multi-Tasking Staff	77* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 in the scale of pay of Rs. 5200—20200 + Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years of age **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years

(10)	(11)
By direct recruitment through the Staff Selection Commission.	Not applicable

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for confirmation :— (i) Presiding Officer of the concerned Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court —Chairman (ii) An Officer from a Department not connected with the one in which promotion are considered —Member (iii) An Officer of the Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed —Member (iv) An Officer nominated by the Ministry of Labour and Employment —Member	Not applicable.

[F. No. A-12011/01/2007-CLS-II]

AJAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.